UPPG010028792023

न्यायालय : विशेष न्यायाधीश (E.C. Act)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ ।
पीठासीन अधिकारी– अंकिता दुबे,(एच०जे०एस०)J.O.CODE-U.P.1713

सेशन केस नं0–800/2023

राज्य उ०प्र० ----- अभियोगी

बनाम

अमानत अली सुत मुन्ना शाह निवासी सदहा बाजार थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

---प्रार्थी/अभियुक्त

राज्य बनाम अमानत अली
मु०अ०सं०: 1241/2020
धाराः 135 भारतीय विद्युत अधिनियम
थानाः ए.पी.टी., जिला–प्रतापगढ़।

निर्णय

1. थाना–एन्टी पावर थेफ्ट,जनपद–प्रतापगढ़,की पुलिस द्वारा अभियुक्त **अमानत अली** के विरूद्ध विद्युत अधिनियम की धारा–135 के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन का कथन इस प्रकार है कि दिनांक 24.11.2020 को समय 13.45 बजे बहद स्थान सदहा बाजार, प्रतापगढ़ अवर अभियन्ता अमित कुमार पाल वास्ते रोकथाम विद्युत चोरी विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, प्रतापगढ़ थाना पट्टी के क्षेत्र में उपभोक्ता अमानत अली सुत मुन्ना शाह निवासी सदहा बाजार थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के मकान परिसर को चेक किया गया तो उपभोक्ता द्वारा नजदीकी एल.टी. लाइन से दो कोर काली केबिल को जोड़कर विद्युत का उपभोग करते हुए पाया गया। मौके पर विद्युत संयोजन प्रपत्र मांगा गया तो नहीं दिखा सका।

3. अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आयी, उसके विरूद्ध विद्युत अधिनियम की धारा–135 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने अपराध करने से इंकार किया तथा विचारण की माँग की।

4. अभियोजन की तरफ से साक्षी पी.डब्ल्यू–1 अमित कुमार पाल अवर अभियंता विद्युत उपखण्ड आसपुर देवसरा प्रतापगढ़ ने सशपथ बयान किया कि दिनांक 24.11.2020 को विद्युत चेकिंग अभियान के अंतर्गत अपने क्षेत्र में अमानत अली सुत मुन्ना शाह निवासी सदहा बाजार थाना पट्टी के परिसर को चेक किया तो पाया गया कि अमानत अली द्वारा बिना विद्युत संयोजन के कटिया लगाकर एक किलो वाट का विद्युत चोरी करते हुए पाये गये। उक्त अमानत अली से मौके पर विद्युत संयोजन मांगा गया तो मौके पर नहीं दिखा सके। जो विद्युत अधि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत करने हेतु थाना प्रभारी ए.पी.टी. को दिया गया। जिस पर मेरे

Digitally signed by ANKITA DUBEY
Date: 2026.07.07 15:27:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हस्ताक्षर हैं, जिसको मैं प्रमाणित करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। विवेचक को मैंने बयान दिया था। घटनास्थल दिखाया था। कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम के पत्रांक 9278 दिनांक 18.12.2024 द्वारा यह अवगत कराया गया कि अमानत अली सुत मुन्ना शाह निवासी सदहा बाजार थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत विभागीय नियमानुसार निर्धारित प्रशम्मन शुल्क 2000/– रु. एवं राजस्व निर्धारित धनराशि 6650 एवं रु. 19950 दिनांक 04.12.2023 को जमा कर दिया गया है तथा प्रकरण निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है। जिस पर अधिशाषी अभियन्ता रामाश्रय प्रसाद चौरसिया के हस्ताक्षर हैं। जिसका मिलान मेरे द्वारा विभागीय अभिलेखों से किया गया जो सही पाया गया। जिस पर **प्रदर्श क–02** डाला गया। अपराध के सापेक्ष कोई बकाय नहीं है।

5. अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया है। अभियोजन द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने का पृष्ठांकन किया गया है।

5 ए. अभियोजन का साक्ष्य समाप्त कर, अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया है, जिसमें अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि रंजिशन झूंठा फंसाया गया है।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6 ए. अभियुक्त द्वारा मौखिक सफाई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। अमित कुमार पाल अवर अभियंता विद्युत उपखण्ड आसपुर देवसरा प्रतापगढ़ ने सशपथ बयान किया कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम प्रतापगढ़ के पत्रांक 9278 दिनांक 18.12.2024 मु०अ०सं० 1241/2020 अन्तर्गत धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम के संबंध में अवगत कराया गया है कि अभियुक्त अमानत अली सुत मुन्ना शाह निवासी सदहा बाजार थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा निर्धारित सम्मन शुल्क रु. 2000/– एवं राजस्व निर्धारण धनराशि रु. 6650/– तथा 19950/–दिनांक 04.12.2023 को खण्डीय कार्यालय में जमा कर दिया गया है। अपराध के सापेक्ष कोई बकाय नहीं है। उपरोक्त अभिलोखों को सम्बन्धित पी0 डब्लू0 1 द्वारा प्रपत्रों की सत्यता को स्वीकार किया गया है।

7. समन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही धारा-152 विद्युत अधिनियम के अनुसार द०प्र०सं० की धारा-300 के अन्तर्गत दोषमुक्त के समतुल्य समझा जायेगा।

8. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध धारा-135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित आरोप को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त **अमानत अली** को धारा-135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित आरोप में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

9. अभियुक्त **अमानत अली** को सेशन केस नं0–800/2023, मु०अ०सं०: 1241/2020, धारा-135 विद्युत अधिनियम, थाना एन्टी पावर थेफ्ट, जिला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10. प्रश्नगत मामले में यदि कोई माल मुकदमाती है तो माल मुकदमाती मियाद अपील राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जाए, जिसे राज्य सरकार विधिनुसार निस्तारित करे।

11. प्रश्नगत मामले में संबंधित विभाग का यदि कोई विद्युत देय/बकाया है तो संबंधित विभाग नियमानुसार देय/बकाया धनराशि वसूल करने के लिए स्वतंत्र है। इस निर्णय का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

12. अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त अन्तर्गत धारा 437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में **बीस हजार रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की दो प्रतिभू अविलम्ब दाखिल करें, जिनकी वैधता मियाद अपील अथवा अपील दाखिल करने तक प्रभावी रहेगी।

दिनांकः 07.07.2026

(अंकिता दुबे)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट)
प्रतापगढ़।

13. आज मेरे द्वारा उपरोक्त निर्णय एवं आदेश दिनांकित व हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 07.07.2026

(अंकिता दुबे)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट)
प्रतापगढ़।

स्टेनो–सुनील कुमार पटेल–।